अधिकारियों को छुट्टियों में उत्प्रवास संरक्षी, दिल्ली के काम करने के लिए प्राधिकृत करती है :—

(1) श्री एम.एस. टांगड़ी, अवर सचिव

(2) श्री रवजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी

(3) श्री जे.पी. सिंह, अनुभाग अधिकारी

ये अधिकारी ऐसे आपात मामलों में जहां अगले कार्य दिवस की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, उत्प्रवास जांच आवश्यकता को आस्थगित करने के लिए ही प्राधिकृत होंगे।

[जैड-11025/67/88-उत्प्रवास-II]

करनेल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 1988

S.O. 868 (E).—In exercise of the power conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby authorises following officers of the Ministry of Labour to perform functions of Protector of Emigrants, Delhi on holidays :—

(1) Shri M.S. Tangry, Under Secretary,

(2) Shri Ravjit Singh, Section Officer,

(3) Shri J.P. Singh, Section Officer.

These officers are only authorised to grant suspension from emigration check requirement in such emergency cases which cannot wait for the next working day.

[Z-11025/67/88-Emig.II]

KARNAIL SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर, 20 1988/ भाद्रपद 29, 1910
No. 471] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1988/BHADRA 29, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

का. आ. 869(अ) :— केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं. का०आ० 201(अ), तारीख 18 मार्च, 1985 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में –

(i) विद्यमान शर्त सं. (1) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) विनिर्माण की वस्तु अधिसूचना सं. 629(अ), तारीख 30-6-88 की अनुसूची 3 (लघु उपक्रमों के लिए आरक्षित मदें) में विनिर्दिष्ट वस्तु नहीं होगी

(ii) पैरा 1 की विद्यमान शर्त 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. औद्योगिक उपक्रम :

(i) 1981 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की परिधि (अर्थात नगरीय क्षेत्र परिसीमाओं की सीमा) के 50 कि. मी. के भीतर ;

(ii) 1981 की जनगणना के अनुसार 15 लाख से अधिक किन्तु 25 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों की परिधि के 30 कि. मी. के भीतर,

(iii) 1981 की जनगणना के अनुसार 7.5 लाख से अधिक किन्तु 15 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों की परिधि के 15 कि. मी. के भीतर;

(iv) अन्य नगरों और कस्बों के मानक नगरीय क्षेत्र/नगर पालिका सीमाओं के भीतर;

अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित किए जाने के लिए प्रस्तावित नहीं है।"

(iii) पैरा 2 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 10/49/88 – एल. पी.]